तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म से जारी हो
9.7.25	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित प्रकरण मे रेस्पो. की तलबी रजिस्टर्ड पु. डी. से कि जाने हेतु सम्मन पेश किये पत्रावली वास्ते तलबी मे दिनांक 21.7.25 को पेश हो।	
21.7.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. का स्था. होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25.8.25 को पेश हो।	
25.8.25	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित प्रकरण मे सम्मन प्राप्त नही हुआ। वकील अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड पु. डी. सम्मन व डिलवरी रिपोर्ट पेश करने पर रेस्पो. को न्यायालय मे बार बार अवाज लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नही होने से रेस्पो. राधा बाई के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली वास्ते बहस मे दिनांक 3.9.25 को पेश हो।	
3.9.25	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 17.9.25 को पेश हो।	
17.9.25	पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. केम्प मे पधारे है। ~~वकील अपीलान्ट उप~~ अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29.9.25 को पेश हो।	
29.9.25	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी गई थी अपील अपीलान्ट की सिद्ध नही होने से खारिज की जाती है। प्रकरण मे अपीलान्ट के नाम की जांच हमारे स्तर से कराई गई जिससे अपील अपीलान्ट की सिद्ध नही होने से खारिज की जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

अपील पत्र संख्या :– 11/2023

श्री शंकरलाल पिता बालु जी जाति रेगर निवासी रावडदा तह. बेगूँ हाल मुकाम ग्राम पाटनिया ग्राम पंचायत शंभुपुरा तह. व जिला चितौडगढ़

अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
2. मु.राधा पुत्र बालु जाति रेगर निवासी रावडदा तह0 बेगूँ

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता अपीलान्ट

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा मौजा रावडदा प.ह. रावडदा के नामान्तरण सं. 696 निर्णय दिनांक 20.12.2006.

अपीलान्ट की ओर से ग्रामपंचायत रावडदा द्वारा मौजा रावडदा प.ह. रावडदा में बालु पिता मोडा जी रेगर की विरासत से अपने हक हिस्से की आराजीयात का विरासत के आधार पर खोले गये नामानतरण संख्या 696 में दिनांक 20.12.2006. को सरपंच ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरूद्ध वास्ते निरस्त किये जाने अपील इन्तकाल निम्न आधार बिन्दुओं पर प्रस्तुत है:–

1– यह कि मौजा रावडदा प.ह. रावडदा में बालू पिता मोडा रेगर के नाम की खातेदारी आराजीयात जिसके खाता सं. 67 होकर आराजी सं. कुल किता 11 कुल रकबा 1.643 हैक्टर आराजी में स्थित हो 1/6 हक हिस्से खातेदार से नाम संवत 2060 से 2063 में अंकित था।

2– यह कि बालू पिता मोडा जी रेगर के फोत हो जाने से उसके विरासत का इन्तकाल उसके विधिक वारिसान पत्नि फोत हो जाने से जायन्दा एक पुत्र शंकरलाल और एक पुत्र राधा के नाम पर पटवार हल्का पटवारी रावडदा व भू अभिलेख निरीक्षक व ग्राम पंचायत रावडदा ने मिलकर अपीलान्ट की अनुपस्थिती में खोला गया जिसमें अपीलान्ट के नाम "शंकरलाल" के स्थान पर " नानालाल" अंकित कर इन्तकाल नं. 696 खोल कर प्रमाणित कर दिया गया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम "शंकरलाल" है जो कि जमाबन्दी व नामान्तरण के कालम सं. 9 में विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम नानालाल पिता मोडा अंकित है जिसको ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा आनन फानन में पारित निर्णय के आधार पर गलत नाम से इन्तकाल खोल कर विधि की भारी भूल की हैं। इसलिए उक्त नामान्तरण सं. 696 को खारिज किया जाना न्यायहिंत में आवश्यक होकर न्यायोचित है।

3– यह कि बालू पिता मोडा जी रेगर की खातेदारी भूमि का विरासत से इन्तकाल खालते समय प0ह0 पटवारी ने बगैर जॉच किए सहवन से इनतकाल नं. 696 दिनांक 20.12.2006 में प्रार्थी अपीलांट का नाम "शंकरलाल" के स्थान पर "नानालाल" अंकित कर दिया गया जिससे इनके आधार पर जमाबंदी में भी प्रार्थी अपीलान्ट का नाम शंकरलाल के स्थान पर नानालाल अंकित कर दिया गया जिसको शुद्ध कराने का अधिकार प्रार्थी/अपीलान्ट को कानूनन प्राप्त है।

4– यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट का नाम को शुद्ध (परिवर्तन)नहीं किया गया तो प्रार्थी अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित होगें और उनके प्राप्त होने वाले हितो पर भी काफी प्रभाव पडेगा जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। अपीलान्ट का नाम "शंकरलाल "अंकित किया जाता है तो सहखातेदारान के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा ओर न ही सिकी को नुकसान होने की संभावना है।

5– यह कि ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा दिये गये निर्णय की अपील सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्रापत होने से अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

6– यह कि पटवार हल्का पटवारी से दिनांक 10.08.2023 को जमाबंदी की नकल प्रापत करने पर अपीलान्ट का नाम गलत अंति होने की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर मौजा रावडदा प.ह. रावडदा में बालू पिता मोडा रेगर के फोत हो जाने से उसके विरासत का इन्तकाल उसक`विधिक

रिसान जायन्दा एक पुत्र शंकरलाल और एक पुत्र राधा के नाम पर नामान्तरण संख्या 696 दिनिांक 20.12.2006 को सरपंच ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा पारित विधि विपरीत निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरण संख्या 696 को खारिज फरमाया जावे और विरासत के आधार पर नया इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम शंकरलाल पिता बालु रेगर अंकित कर खोले जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

अपील पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमिधारी न्यायालय मे उपस्थित आए लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 2 को न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जाने के बावजूद भी वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आए है, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश न्यायालय द्वारा पत्रावली में दिया गया।

पत्रावली में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के उपस्थित आने एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध मामला एक तरफा का होने से अपील पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बह समे अपीलान्ट शंकरलाल पिता बालू रेगर के पिता बालू रेगर की विरासत से खोला गये नामान्तरण संख्या 696 में अपीलान्ट का नाम शंकरलाल के बजाय नानालाल किया जाकर विरासत का नामान्तरण खोला गया है जिससे नाम शुद्ध कराने हेतु नामान्तरण संख्या 696 को निरस्त किया जाकर सही नाम नानालाल के बजाय शंकरलाल किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया।

प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 भूमिधारी की ओर से मामले की जॉच कराई जाकर रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब की गई जिसमें प्राप्त रिपोर्ट साथ पर्चामौका में अंकित किया गया है कि मृतक बालू पिता मोडा रेगर के पुत्र को ग्रामवासी नानालाल के नाम से ही जानते है व पुकारते थे। उसका नाम शंकरलाल होने की जानकारी ग्रामवासियो को नहीं है। बालू पुत्र मोडा रेगर के विरासका नामान्तरण दायर करते वक्त पुत्र नानालाल ग्राम मौतबीरान के अनुसार रावडदा निवास नहीं करता था।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने एवं प्राप्त रिपोर्ट पटवारी हल्का तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। नामान्तरण संख्या 696 जो कि मृतक खातेदार बालू पिता मोडा की विरासत का खोला गया है जिसमें नानालाल ,राधा पिता बालू के नाम से नामान्तरण खोला जाकर ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसी आधार पर जमाबंदी में बालूलाल के वारिसान का नाम जमाबंदी में दर्ज अंकित किये गये है। ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें शंकरलाल उर्फ नानालाल रेगर (पुत्र) राधा (पुत्री) होना अंकित करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया है, इस प्रमाण पत्र पर प्रश्न यह है कि जब सरपंच ग्राम पंचायत रावडदा को यह ज्ञात था कि बालू के पुत्र का नाम शंकरलाल उर्फ नानालाल रेगर है तो विरासत के नामान्तरण पर नानालाल के नाम पर निर्णिय किस आधार पर दिया गया यह तथ्य स्पष्ट नहीं होते हैं। अपीलान्ट ने जो दस्तावेज यथा परिवार राशनकार्ड ,आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये है जो कि ग्राम पंचायत शंभुपुरा ग्राम पाटनिया तहसील चितौडगढ के प्रस्तुत किये है, ग्राम पंचायत रावडदा के राशनकार्ड में क्या नाम था, आधार कार्ड में क्या नाम था, यह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है।

जैसा कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम के मोतबीरान से पूर्ण जानकारी ली गई है जिसमें यह जाहिर आया है कि बालू के पुत्र का नाम नानालाल है एवं इसी नाम से उन्हे पुकारा जाता है, व जाना जाता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत रावडदा द्वारा खोला गया विरासत का नामान्तरण संख्या 696 सही खोला जाकर दिनांक 20.12.2006 को सही निर्णित किया है। अपीलान्ट प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अपना नाम विरासत नामान्तरण में शंकरलाल दर्ज करा पाने के अधिकार नहीं पाये जाते है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध नामान्तरण संख्या 696 ग्राम पंचायत रावडदा निर्णित दिनांक 20.12.2006 की अपीलान्ट के पक्ष में दस्तावेज से सिद्ध नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्ड अधिकारी,बेगूँ
जिला चितौडगढ़(राज.)